संख्या- 21/2015/464 /अड़तीस-9-2015-01(ग्रा0आ0परि0)/2015

प्रेषक

अरूण सिंघल
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त
उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद
बी0'1/118, विश्वास खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 15 मई, 2015**

विषय- प्रदेश में लोहिया ग्रामीण आवास योजना हेतु हुडको से ऋण लिये जाने के लिये प्रति प्रत्याभूति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासन के पत्र संख्या-414/अड़तीस-9-2015-01(ग्रा0आ0परि0)/ 2015टी0सी0, दिनांक-30.04.2015 व आपके पत्र संख्या-19/ग्रा0आ0परि0-1977, दिनांक-01.05.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित वर्ग को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना सरकार के विकास एजेण्डा में सम्मिलित किया गया है और लोहिया समग्र ग्रामों को संतृप्त किये जाने की प्राथमिकता है। उक्त के दृष्टिगत वित्तीय संसाधनों के आभाव में हुडको से रू0 1500 करोड़ 8.5 प्रतिशत ब्याज दर पर, जो घट/बढ़ सकती है, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, जो ग्राम्य विकास विभाग के अधीन है, के माध्यम से ऋण अनुबन्ध ग्राम्य विकास अनुभाग-4 के पत्र संख्या-383/38-4-2015-05(बजट)/ 2012टी0सी0-।।, दिनांक-16.03.2015 द्वारा आपको प्रेषित किया गया है, जिसमें शासन के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक-31.03.2015 व 29.04.2015 में दिये गये निर्देशानुसार संशोधन अपेक्षित है।

2- इस सम्बन्ध में उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद के प्रति प्रत्याभूति के आलेख्य को शासन स्तर से विधीक्षित कराकर संलग्न करके आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्रति प्रत्याभूति पर यथा स्थान हस्ताक्षर करके उसे शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के अशासकीय संख्या-59 (1) /दस-4-2015, दिनांक-14 मई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

अरूण सिंघल
प्रमुख सचिव।

-2/

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 21/2015/ 464 (1) /अड्तीस-9-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।

3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

5- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

6- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

7- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन

8- क्षेत्रीय प्रमुख, हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बी0-1, एन0ई0 ब्लाक, द्वितीय तल, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-हुडको/शेड्यूल-20745/2015 /52, दिनांक-15.04.2015 के संदर्भ में।

9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन।

10- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

11- ग्राम्य विकास अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in